दिनांक 08.08.2014 को निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, (सूडा) उ0प्र0 की अध्यक्षता में राजीव आवास योजना के अन्तर्गत 07 शहरों के स्लम फ्री सिटी प्लान आफ एक्शन तैयार करने हेतु दिनांक 23.07.2014 को जारी बिड नोटिस में निर्धारित प्री–बिड की बैठक का कार्यवृत्त

राजीव आवास योजनान्तर्गत 07 शहरों के 'स्लम फ्री सिटी प्लान आफ एक्शन' तैयार करने हेतु दिनांक 08.08.2014 को प्री–बिड बैठक में निम्नलिखित अधिकारी के द्वारा प्रतिभाग किया गयाः–

1 श्री श्रीप्रकाश सिंह, निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0 लखनऊ।
2 श्री लाल प्रताप सिंह, वित्त नियंत्रक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0 लखनऊ।
3 श्री रामनरेश, अपर सांख्यिकीय अधिकारी, स्थानीय निकाय निदेशालाय, लखनऊ।
4 डा0 अनिल कुमार सिंह,, संयुक्त निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0 लखनऊ।
5 श्री विपिन कुमार, सहायक परियोजना अधिकारी, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0 लखनऊ।
6 डा0 कमल कुमार सिंह, परामर्शी, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0 लखनऊ।

प्री–बिड बैठक में निम्नलिखित संस्थाओं के द्वारा प्रतिभाग किया गयाः–

1 अरूपम मजूमदार, आरकिटेक्ट अरबन प्लानर, एन0एफ0 इन्फ्राटेक सर्विस प्रा0 लि0 नई दिल्ली।
2 देबोतरी चैटरर्जी, सीनियर एक्जीक्यूटिव इनवायरमेन्ट, विजन ई0आई0एस0 कन्सल्टिंग प्रा0लि0।
3 अजीत कुमार मिश्रा, असिसटेन्ट डायरेक्टर, रीजनल सेन्टर फॉर अरबन एण्ड इनरोलमेन्ट स्टडीज।
4 हिमान्शू चन्द्रा, असिसटेन्ट डायरेक्टर, आर0ओ0ई0एस0, लखनऊ।
5 एच0 ज़ैदी, प्रोजेक्ट कन्सल्टेन्ट, वोयान्टस सल्यूशन प्रा0लि0, 30 एन0एच0, 8 गुड़गांव।
6 संजय कुमार यादव, ए0जी0एम0 कन्सल्टिंग, श्रिष्टी अरबन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट लि0 न्यू दिल्ली।
7 सुनील गुप्ता, इन्जीनियर, आई0पी0ई0 ग्लोबल प्रा0लि0 न्यू दिल्ली।
8 राजेश कोकापर्थ, इन्जीनियर, रूद्राभिषेक इन्टरप्राइजेस लि0, वाई0एम0 सी0ए0 बिल्डिंग, लखनऊ।

बैठक में प्रतिभाग करने वाले संस्थाओं के प्रतिनिधियों द्वारा सूडा द्वारा प्रकाशित आर0एफ0पी0/टेण्डर नोटिस में संस्थाओं की अर्हता हेतु रखी गयी शर्तो में से कतिपय शर्तो पर शिथिलता प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया। कई

संस्थाओं द्वारा संस्थाओं के आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा इम्पैनल्ड/स्टेब्लिश्ड होने की शर्त हटाये जाने का अनुरोध किया गया है।

एन0एफ0 इन्फ्राटेक सर्विस प्रा0 लि0 के प्रतिनिधि द्वारा संस्था के कम से कम 05 वर्ष के कार्यानुभव होने की बाध्यता को कम करते हुए 04 वर्ष किये जाने का अनुरोध किया गया। उल्लेखनीय है कि उक्त संस्था आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा इम्पैनल्ड/स्टेब्लिश्ड नहीं है।

वोयान्ट्स सॉल्युशन प्रा0 लि0 के प्रतिनिधि द्वारा यह प्रश्न किया गया कि सातों शहरों के लिए फाइनैन्शियल बिड की प्रस्तावित दर एल–1 के आधार पर संस्था का चयन किया जायेगा अथवा किसी एक अथवा अधिक शहरों के लिए एल–1 की दशा में एक अथवा अधिक शहरों के लिए संस्था का चयन होगा। कतिपय अन्य संस्थाओं द्वारा भी इस संबंध में स्थिति स्पष्ट करने का अनुरोध किया गया। उपस्थित समस्त संस्थाओं के प्रतिनिधियों को स्पष्ट किया गया कि टेण्डर नोटिस में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि अलग–अलग शहरों के लिए फाइनैन्शियल बिड मांगा गया है अतः शहर /शहरों के लिए एल–1 दरें प्राप्त होने पर एक अथवा अधिक शहरों के लिए संस्था का चयन किया जायेगा।

संस्था के प्रतिनिधि द्वारा स्लम फ्री सिटी प्लान आफ एक्शन हेतु निर्धारित 06 माह की समयावधि को सम्पादित किये जाने वाले कार्यो की विविधता के परिप्रेक्ष्य में कम होने का उल्लेख किया गया एवं समयावधि बढ़ाये जाने का अनुरोध किया गया। उनको अवगत कराया गया कि विभाग द्वारा पूर्व में 14 नगरों का स्लम फ्री सिटी प्लान आफ एक्शन तैयार कराया गया है तथा स्लम फ्री सिटी प्लान आफ एक्शन तैयार करने वाली संस्था को भी 06 माह की समयावधि प्रदान की गयी थी।

कतिपय संस्थाओं के प्रतिनिधियों द्वारा यह जानना चाहा कि सर्वेक्षण नोटिफाइड/नान नोटीफाइड मलिन बस्तियों के आधार पर किया जाना है अथवा शहर स्तर पर? संस्थाओं को अवगत कराया गया कि राजीव आवास योजना के अन्तर्गत शहरों को स्लम मुक्त बनाये जाने के उददेश्य की पूर्ति हेतु सर्वेक्षण शहर स्तर पर किया जाना है। शहर की समस्त नोटिफाइड/नान नोटीफाइड मलिन बस्तियों तथा 20 आवासों से अधिक के समूहों जिनमें कच्चे व अर्द्धपक्के आवास है तथा जहां जीवन–यापन हेतु आवश्यक मूलभूत सुविधायें उपलब्ध नहीं हैं, योजनान्तर्गत

आच्छादित है। उन सभी का सर्वेक्षण कर शहर स्तर पर स्लम फ्री सिटी प्लान आफ एक्शन तैयार किया जायेगा।

आर0सी0यू0ई0एस0, लखनऊ के प्रतिनिधि द्वारा यह प्रश्न किया गया कि निकायों व शहरों का बेसमैप तैयार करने हेतु सेटलाइट के माध्यम से Cortosat I /II इमेज अथवा हाई रिसोल्यूशन सेटेलाइट प्रोडक्स जैसे Quick world, World view 1, 2, Geo Eye आदि के लिए सुविधा प्रदाता विभागों/संस्थाओं को किये जाने वाले भुगतान को कौन वहन करेगा? इस संबंध में यह स्पष्ट किया गया कि सेटलाइट के माध्यम Cortosat I /II इमेज से क्रय की जाने वाली उपरोक्त इंगित सुविधायें फाइनेंशियल बिड का हिस्सा होंगी। सूडा द्वारा भुगतान किये जाने की दशा में उक्त धनराशि की चयनित संस्था को किये जाने वाले भुगतान से कटौती की जायेगी।

इमेजिनेशन इन्फ्राटेक प्रा0 लि0 के पत्र द्वारा जनरल कन्डीशन्स के बिन्दु 7.2– रिटेनिंग मनी–में उल्लिखित शब्दों, 'सिविल कान्ट्रेक्ट वर्क' पर स्थिति स्पष्ट किये जाने की अपेक्षा की गयी। उक्त क्रम में बिड में कार्य प्रकृति दूसरे प्रकार के होने के कारण उसका पुनः परीक्षण कर समुचित कार्यवाही किये जाने का आश्वासन दिया गया।

संस्था के प्रतिनिधि द्वारा भुगतान के कार्यवार शैड्यूल में संशोधन किये जाने का अनुरोध किया गया। संस्था के प्रतिनिधि द्वारा स्लम फ्री सिटी प्लान आफ एक्शन के सापेक्ष शेष 30 प्रतिशत धनराशि के भुगतान सी0एस0एम0सी0 (भारत सरकार) से स्वीकृत होने के उपरान्त किये जाने के प्राविधान को 15 से 20 प्रतिशत किये जाने का अनुरोध किया गया जिस पर विचार किये जाने का आश्वासन दिया गया।

एन0एफ0 इन्फ्राटेक सर्विस प्रा0 लि0, वोयान्ट्स सॉल्युशन प्रा0 लि0, इमेजिनेशन इन्फ्राटेक प्रा0 लि0 एवं विजन ई0आई0एस0 कन्सल्टिंग प्रा0 लि0 के प्रतिनिधि द्वारा संस्थाओं के आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय, भारत सरकार से इम्पैनल्ड/स्टैबलिस्ड होने की बाध्यता को समाप्त किये जाने का अनुरोध किया गया जिस पर अध्यक्ष महोदय द्वारा विचार किये जाने का आश्वासन दिया गया।

14/8/2015

श्रीप्रकाश सिंह
निदेशक

कार्यालय– राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0 लखनऊ।

पत्रांक 1729 /12/49/दस/2010 दिनांक 14 अगस्त, 2014

प्रतिलिपि–

1 सचिव, नगर विकास, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग उ0प्र0 शासन।
2 निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, लखनऊ को सूचनार्थ।
3 कैम्प कार्यालय, निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0 को निदेशक महोदय के अवलोकनार्थ प्रस्तुत करने हेतु।
4 वित्त नियंत्रक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0 को सूचनार्थ।
5 संयुक्त निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0 को सूचनार्थ।
6 वेवमास्टर, सूडा को सूडा की वेवसाइट पर अपलोड करने हेतु।

आज्ञा से,

14/8/2014

(श्रीप्रकाश सिंह)
निदेशक